FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ...... सहायक कलेक्टर ब्यावर ...... मुकाम ......

...... हनुमानराम बडोरा ...... बनाम ...... किशनाराम बडोरा ......

किस्म मुकदमा ...... तरमीम आवेदन ...... नं. 100/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भासिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/04/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) ब्यावर	
06/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/04/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-10 की ओर से वकील श्री नरपत प्रसाद द्वारा ओरल हेयरिंग ली गई शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। अत: विप्रार्थी संख्या-10 के वकालतनामा व जवाब तथा शेष की तलबी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 18/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) ब्यावर जिला – अजमेर	विप्रार्थी सं. 10 नं. ओर से उपस्थित (हस्ताक्षर) 27/4

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/05/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-10 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त, तामील शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-24 का नोटिस तामील होकर शामिल मिसल। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र मय संशोधित शीर्षक पेश कर निवेदन किया गया कि विप्रार्थी संख्या-24 प्रार्थी के सगा पुत्री नहीं है अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है इसका नाम विलोपित किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जावे। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या-24 का नाम विलोपित किया जाता है व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है। विप्रार्थी संख्या-10 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया, आइन्दा पेश करना चाहते है अवसर दिया जाता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः विप्रार्थी संख्या-10 वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 30/05/2022 को पेश हो। (sd/-) उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर
30/05/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-10 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-10 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में ली गई अण्डर टेकिंग को खारिज किया जाकर विप्रार्थी संख्या-10 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः बाद बहस पत्रावली दिनांक-23/06/2022 को पेश हो। (sd/-) उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु जिला-बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक वाद / 2022 / 1009

दिनांक : 23/6/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. हड़ुमानराम दत्तक पुत्र जगमालराम,
2. चन्दु देवी पत्नी जगमालराम,
जाति जाट, निवासी किसने का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. विशनाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 24,
जाति जाट, निवासी किसने का तला,
पटवार मण्डल बाटाडु,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 100 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – किसने का तला, पटवार मण्डल – बाटाडु, तहसील – बायतु, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 1799, 1804, 1844, 1920 रकबा क्रमशः 0.0971, 6.2293, 5.8248 3.3574 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :

क्रमांक / वाद / 2022 / 1010 – 14

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री हड़ुमानराम दत्तक पुत्र जगमालराम वगैरा 02,
5. विप्रार्थी श्री विशनाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 24,
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु